(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 122 / 2022 जी.सी.एम.एस नम्बर :– 2021 / 258

1. कृष्ण कुमार पुत्र सुबे सिंह जाति अहीर निवासी खान्दवा हाल आबाद सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
2. जितेन्द्र कुमार पुत्र सुबे सिंह जाति अहीर निवासी खान्दवा हाल आबाद सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

.........................प्रार्थी

– ब ना म –

1. विजय सिंह पुत्र प्रभाती लाल
2. सन्ताल पुत्र प्रभाती लाल जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
3. करण सिंह पुत्र मान सिंह
4. किरण पत्नी मान सिंह जाति राजपूत निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
5. नीरू पुत्री भोल सिंह जाति राजपूत निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
6. प्रदीप कुमार पुत्र भोल सिंह
7. भतेरी पत्नी ओमप्रकाश
8. भान सिंह पुत्र बच्चन सिंह
9. मन्जु पुत्री भोल सिंह
10. महावीर पुत्र रामकुमार सिंह
11. रणवीर सिंह पुत्र मान सिंह
12. रामपाल सिंह पुत्र मान सिंह
13. लिलु सिंह पुत्र भोल सिंह
14. शकुन्तला पुत्री मान सिंह
15. समन्द्र सिंह पुत्र सावत सिंह
16. सुरेश सिंह पुत्र मान सिंह
17. सुशिला पुत्री मान सिंह
18. हरपाल सिंह पुत्र मान सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
19. पवन देवी पत्नी जोगेन्द्र सिंह
20. सुरमती पत्नी रामपाल समस्त जाति अहीर निवासी ढाणी खटोटी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
21. सदाकौर पत्नी भोल सिंह जाति राजपूत निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

...........................अनावेदकगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

आवेदन पत्र बाबत रास्ता चाहने

अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :—

प्रार्थीगण की ओर से — श्री प्रविन्द्रसिंह अधिवक्ता
अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 21 की ओर से — श्री राजेन्द्र यादव अधिवक्ता

—: निर्णय :—

दिनांक :— 03/9/24

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार रहा कि:—

1. यह कि वाके ग्राम सागवा तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 232 के ख0 न0 166 रकबा 0.02 है0, ख0 न0 177 रकबा 0.71 है0, ख0 न0 492 रकबा 0.85 है0, ख0 न0 526 रकबा 0.76 है0, ख0 न0 527 रकबा 0.68 है0, ख0 न0 528 रकबा 1.33 है0, ख0 न0 738/528 रकबा 0.20 है0, ख0 न0 853/169 रकबा 0.01 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 4.56 है0, भूमि में प्रार्थीगण 1/21, 1/21 भाग भूमि के रिकार्डेड खातेदार कास्तकार है उक्त भूमि में प्रार्थीगण ख0 न0 492 रकबा 0.85 है0, के उतरी पूर्वी भूमि पर मकान व कुआ बनाकर 40 वर्षो से आबाद है।
2. यह कि वाके ग्राम सागवा तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 187 के ख0 न0 163 रकबा 0.17 है0, ख0 न0 179 रकबा 0.74 है0, ख0 न0 493 रकबा 0.87 है0, ख0 न0 522 रकबा 1.16 है0, ख0 न0 534 रकबा 0.87 है0, ख0 न0 855/169 रकबा 0.06 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 3.87 है0, भूमि के खातेदार कास्तकार अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का 1/2, 1/2 भाग भूमि दर्ज रिकार्ड है।
3. यह कि वाके ग्राम सागवा तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 107 के ख0 न0 242 रकबा 0.52 है0, ख0 न0 372 रकबा 0.15 है0, ख0 न0 426 रकबा 0.33 है0, ख0 न0 494 रकबा 1.72 है0, ख0 न0 539 रकबा 0.36 है0, ख0 न0 914/538 रकबा 0.17 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 3.25 है0, भूमि के रिकार्डेड खातेदार प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 18 दर्ज है।
4. यह कि वाके ग्राम सागवा तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 109 के ख0 न0 524 रकबा 5.10 है0, भूमि के रिकार्डेड खातेदार कास्तकार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 20 दर्ज है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित भूमि के उतरी पूर्वी सीमा पर मकान व कुआ बनाकर पिछले 40 वर्षो से बनाकर आबाद है प्रार्थीगण के कुआ पर आने जाने व भूमि की फसल को बुवाई व अनाज मण्डी तक लाने ले जाने में काफी परेशानी हो रही है प्रार्थीगण ग्राम खान्दवा के स्थाई निवासी है तथा खातेदारी भूमि सागवा में होने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने में काफी परेशानी पैदा करते है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से अपने कुआ पर आने जाने के लिए रास्ते बाबत कहा तो अप्रार्थीगण ने रास्ता देने से मना कर दिया।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

6. यह कि प्रार्थना पत्र के खण्ड संख्या 3 में वर्णित भूमि में खातेदार नारायण सिंह पुत्र लक्ष्छु सिंह अविवाहीत फौत हो चुका है जिसके विधिक वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 व 8 लगायत 18 है जिसको प्रार्थीगण ने पक्षकार बनाया है।
7. यह की प्रार्थना पत्र के खण्ड संख्या 4 में वर्णित भूमि में खातेदार मान सिंह पुत्र बच्चन सिंह फौत हो चुका है जिसके विधिक वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 3, 4, 11, 12, 14, 16, 17, 18 है जिनको प्रार्थीगण ने पक्षकार बनाया है।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं

यह कि ग्राम सागवा तहसील बुहाना में स्थित में स्थित भूमि हाल ख0 न0 492 रकबा 0.85 है0, भूमि में आने जाने के लिए हाल ख0 न0 493 के के पूर्वी मेढ के सहारे सहारे व हाल ख0 न0 494, 524 के उतरी मेढ के सहारे सहारे नजरी नक्शे के अनुसार 16 फुट का रास्ता काटते हुए हाल नक्शे में तरमीम करने के आदेश दिये जाने की कृपा करें।

(2) आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई । अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 21 की और से श्री राजेन्द्र यादव एड द्वारा जवाब पेश किया गया है।

(3) न्यायालय द्वारा तहसीलदार बुहाना से मौका रिपोर्ट हेतु पत्रांक 382 दिनांक 13.07.2023 के द्वारा पत्र भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2492 दिनांक 07.08.2023 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट रही की –

(1) ग्राम सागवा यह कि आवेदक को रास्ते की आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत (हालिंग) के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है। यह कि पहुचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्व होता है।

(2) यह कि विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुचने के वैकल्पिक साधनो का अभाव सिद्व होता है।

(3) प्रस्तावित रास्ता गत व हाल दोनो को लालस्याही से दर्शाया गया है। यह है कि व प्रस्तावित रास्ते में कोई निर्माण नही है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने रास्ते के नवीनतम फोटो पेश किये। जिनके अनुसार प्रथम पॉच फोटो प्रार्थी के ख0 न0 492 में जाने हेतु अप्रार्थीगण के ख0 न0 493 की पूर्वी मेड एवं ख0 न0 494, 524 के उत्तरी मेड के है जहॉ रास्ता दिखाई पड़ रहा है। जबकि कमांक 6 से 13 तक फोटोग्राफ ख0 न0 497, 489 के सहारे के बताऐ जिसके रास्ते आगे बंद बताया तथा रास्ते हेतु कई वृक्ष काटने की आवश्यकता होगी वकील वादी ने उपयुक्त बहस करते हुए 493 के सहारे से रास्ते हेतु निवेदन किया जबकि वकील अप्रार्थी ने कहा कि लघुतम मार्ग दिया जावे।

न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है। अतः न्यायालय प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते को मात्र जोत के सुविधाजनक उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला पाता है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत / मकान में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन / रास्ता की अनुपलब्धता (Absence

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय तहसीलदार की मौका रिपोर्ट, के आधार पर आवेदकगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट, बहस व फोटोग्राफ के अनुसार वैकल्पिक रास्ते का अभाव है तथा जौत हेतु मार्ग की अत्यन्त आवश्यकता सिद्व होती है। चुकि प्रस्तावित रास्ता 493 की पूर्वी मेड एवं 494 व 524 की उत्तरी मेड से वर्तमान में भी चलाययान है उन्य दुसरे वैकल्पिक रास्ते पर हरे पेड़ो कटाई के कारण दिया जाना प्रासंगिक नही है। अतः आदेशित किया जाता है। कि प्रार्थी के ख0 न0 492 में पहुच हेतु प्रस्तावित रास्ता ख0 न0 493, 494, 524 से कुल 848 वर्ग मीटर दिया जाता है। प्रार्थी जिसके बदले में अप्रार्थी को डी.एल.सी का दुगुना भुगतान करे। तहसीलदार राशि की गणना निर्णय के 15 दिवस में करना सुनिश्चित करे। रास्ता सार्वजनिक रास्ता रहेगा जो कि गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज होगा ।

आदेश

''न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम सागवा में स्थित भूमि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट, बहस फोटोग्राफ के आधार पर प्रार्थी को जोत में खसरा नम्बर 492 में जाने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 493, 494, 524 से कुल 848 वर्ग मीटर का रास्ता दिया जाता है। जिसको नजरी नक्शे में लाल सुर्ख से दर्शाया गया है। जिसको रास्ता के लिए दिये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा ट्रेस प्रदर्श –''अ'' के अनुसार दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ते की भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में ''सार्वजनिक रास्ते'' के रूप मे दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि प्रतिकार की राशि की गणना नियमानुसार ग्राम सागवा की अधिकतम डी.एल.सी से निर्धारित दर से दो गुणा राशि नियमानुसार राजकोष में जमा होने पर संम्बन्धित खातेदार/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जावे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम किए जावे। तहसीलदार बुहाना का नक्शा ट्रेस प्रदर्श –''अ'' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। रहन यदि कोई हो तो रास्ता में जाने वाला रकबा रहन से मुक्त माना जावे''।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 03/9/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना